

प्रेषक,

अरुणेश कुमार द्विवेदी,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. आवास आयुक्त,
उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद,
लखनऊ।
3. निदेशक,
आवास बन्धु,
उ०प्र०।

2. मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक,
नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग,
उ०प्र०।
4. सलाहकार,
आवास बन्धु,
उ०प्र०।

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग-1

लखनऊ : दिनांक 23 नवम्बर, 2022

विषय:- प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत निजी क्षेत्र के माध्यम से विकसित की जानी वाली परियोजनाओं में परफॉर्मेन्स गारण्टी के रूप में बंधक रखे जाने वाली भूमि के संबंध में।

महोदय,

परफारमेंस गारण्टी के रूप में बंधक रखी गयी भूमि के सापेक्ष बैंक गारण्टी रखे जाने की व्यवस्था ई०डब्ल्यू०एस० भवनों के साथ-साथ अन्य श्रेणी के भवनों इत्यादि के निर्माण संबंधी परियोजना में भी लागू किये जाने हेतु शासनादेश दिनांक 18.03.2020 के प्रस्तर-47 में संशोधन किये जाने के संबंध में विचार-विमर्श हेतु प्रमुख सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग उ०प्र० शासन की अध्यक्षता में लाल बहादुर शास्त्री भवन, प्रथम तल स्थित उनके कार्यालय कक्ष में दिनांक 25.11.2022 को पूर्वान्ह 11.00 बजे एक बैठक आहूत की गयी है।

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया उक्त निर्धारित बैठक में सुसंगत सूचनाओं सहित प्रतिभाग करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(अरुणेश कुमार द्विवेदी)
उप सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. निजी सचिव, सचिव/प्रमुख सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उ०प्र० शासन।
2. निदेशक, सूडा को इस आशय से प्रेषित कि उक्त निर्धारित बैठक में वीडियो कॉन्फेसिंग के माध्यम से प्रतिभाग करने का कष्ट करें।
3. उपाध्यक्ष, लखनऊ/कानपुर/गाजियाबाद/आगरा एवं बरेली विकास प्राधिकरण को इस आशय से प्रेषित कि उक्त निर्धारित बैठक में वीडियो कॉन्फेसिंग के माध्यम से प्रतिभाग करने का कष्ट करें।
4. प्रभारी पास आफिस, लाल बहादुर शास्त्री भवन को उपरोक्त बैठक में प्रतिभाग करने वाले अधिकारियों के प्रवेश-पत्र निर्गत किये जाने हेतु।

आज्ञा से

22.11.2022
(अरुणेश कुमार द्विवेदी)
उप सचिव।